न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांकः 27.03.2025

मुकदमा नम्बर 54/2024
ऑनलाईन नम्बर 2024/94
फरसाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी मंसूरी तहसील नोखा जिला बीकानेर

—प्रार्थी—

बनाम

1. डमाराम पुत्र तोलाराम जाति नाई निवासी मंसूरी तहसील नोखा जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

1. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री ललित कुमार मारू अप्रार्थी सं. 1
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 114 तादादी 14.2000 हैक्टेयर रोही ग्राम राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत का आवागमन का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 764/113 तादादी 3.8400 हैक्टेयर रोही ग्राम राजेडू में स्थित, राजेडू जसरासर सड़क मार्ग से फंट कर खसरा नम्बर 764/113 के पूर्वी तरफ से होते हुऐ प्रवेश करता है, रास्ता की लम्बाई 325 मीटर व चौड़ाई 5 मीटर है। उक्त रास्ता शुरू से ही चला आ रहा है। प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिऐ उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है, जिसका प्रार्थी पिछले काफी वर्षो से उपयोग, उपभोग कर रहा है। प्रार्थी के उक्त खेत में यह एकमात्र रास्ता विधमान है, जिसकी चौड़ाई 5 मीटर व लम्बाई 325 मीटर है तथा खेत खसरा नम्बर 764/113 तादादी 3.8400 हैक्टेयर रोही ग्राम राजेडू में स्थित सड़क मार्ग नजरी नक्शा में X से Y दर्शाया गया है तथा प्रार्थी के खेत का रास्ता A से B दर्शाया गया है, जो अत्यधिक आवश्यक है व उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के खेत में पंहुचने का नही है । प्रार्थी के खेत में आने—जाने का कोई रास्ता नही है राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन नही होने से भविष्य में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है तथा अप्रार्थी ने दिनांक 08.02.2024 को उक्त रास्ता बन्द करने की धमकी दी है। प्रार्थी का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 764/113 तादादी 3.8400 हैक्टेयर रोही ग्राम राजेडू के पूर्वी सीमा से होते हुऐ 325 मीटर X 5 मीटर क्षेत्रफल 1625 वर्गमीटर है, प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 को रास्ते के क्षेत्रफल की नियमानुसार सरकारी डीएलसी दर से दुगुनी कीमत अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 17:59:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

इसी रास्ते से अपने खेत में आता–जाता रहता है प्रार्थी का यही एकमात्र व अत्यंत आवश्यकता का रास्ता है, इसलिए प्रार्थी ने कम चौड़ाई के रास्ते की मांग की है, रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन आवश्यक है । प्रार्थी व अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि रोही ग्राम राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ में होने से प्रार्थनापत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है । प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद व पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 114 तादादी 14.2000 हैक्टेयर रोही ग्राम राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 764/113 तादादी 3.8400 हैक्टेयर रोही ग्राम राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ के पूर्वी तरफ 325 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा क्षेत्रफल 1625 वर्गमीटर सलग्न नक्शे में दर्शायें अनुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमिकन कटाणी दर्ज किये जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 2 को फरमावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने मौका रिपोर्ट पेश की। अप्रार्थीगण संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 764/113 ग्राम राजेडू में स्थित हैं।अप्रार्थी के खेत में से प्रार्थी के खेत में आने जाने का रास्ता कभी भी नही रहा है ना ही वर्तमान में ऐसा कोई रास्ता मौजूद हैं। प्रार्थी ने गलत रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो प्रथम दृष्ट्या ही काबिले खारिज हैं। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 114 रोही राजेडू में निकटमत रास्ता खसरा नम्बर 119 जो कि प्रार्थी के परिवार के सदस्य का हैं में से स्थित हैं। खसरा नम्बर 119 में से चले आ रहे कट्टाणी रास्ते से प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 114 की पूर्वी सीमा अति निकटतम व सुगम रास्ते के लिए लगती है, प्रार्थी के खेत के लिए निकटतम रास्ता खेत खसरा नम्बर 119 में चले आ रहे कट्टाणी मार्ग से बनता हैं। जबकि प्रार्थी ने अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 764/113 में से गलत रूप से रास्ता विधि विरूद्व क्लेम किया हैं । इस आधार पर भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज हैं । प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 114 में आगवागमन के लिए वर्तमान वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 763/113 की पश्चिमी सीवं से चला आ रहा हैं, [illegible] के बाबत प्रार्थी ने कोई क्लेम न कर अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 764/113 में गलत [illegible] रास्ता चाहा हैं । वैक्लीपक रास्ता मौजूद होने की स्थिति में प्रार्थी को अप्रार्थी के खेत में से कानूनन कोई रास्ता नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 17:59:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

दिया जा सकता हैं । इस आधार पर भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 05.12.2024 का अवलोकन किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट प्रार्थी की उपस्थिति में तैयार कर पेश की गई है। प्रार्थी द्वारा अपनी जोत तक पहुंचने हेतु वर्तमान में वैकल्पिक रास्ता काम में लिया जा रहा है एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खसरा नंबर 763/113 में से कटाणी मार्ग डामर सडक से खसरा नंबर 763/113 की पश्चिमी सीमा के सहारे वर्तमान में काम लिया जा रहा वैकल्पिक रास्ता जो नजरी नक्शे में A से B दर्शाया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास अपनी जोत में पहुंचने हेतु वैकल्पिक मार्ग संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित A से B उपलब्ध है एवं प्रार्थी ने अपनी सुविधानुसार नजरी नक्शा में दर्शित F से G खसरा नंबर 764/113 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे अपनी सुविधानुसार रास्ते की मांग की गई है। धारा 251(क) के तहत मांगा गया रास्ता सुविधा का ना होकर अत्यन्त आवश्यकता का होना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा अपनी सुविधानुसार नया रास्ता मांगा गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नही आता है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 17:59:42 IST
Reason: SelfAttested